सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

संख्या- 302 राँची, सोमवार, 25 वैशाख, 1938 (श०) / 15 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 मार्च, 2017

विषय: "बियार" जाति को झारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने के संबंध में ।

संख्या-14/जा०नि०-03-11/2016 का.- 1951 -- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछडे वर्गो एवं पिछडे वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की क्रमशः अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग से प्राप्त सलाह के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ''बियार'' जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सूचीबद्ध किया जाय । तदनुसार झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) का संशोधित रुप निम्नवत हैः-

समावेशन(अनुसूची-1)

(I) अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के रिक्त क्रमांक-126 पर 'बियार' जाति को समावेशित किया जाय ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 302--150